सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 72 राँची, गुरुवार

16 माघ, 1936 (श०)

5 फरवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 जनवरी, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-195/गो0, दिनांक 18 फरवरी, 2013 एवं पत्रांक- 355/स्था0, दिनांक 06 जून, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2161, दिनांक 07 मार्च, 2013

संख्या-- 5/आरोप-1-56/2014 का.-807 -- श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पलामू के

पत्रांक-195/गो0, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है । श्री चोपड़ा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6406, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 से प्राप्त निदेश के आलोक में अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-5/आ0, दिनांक 12 जनवरी, 2011 से प्रखण्ड स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण के लिए आपको नामित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा कभी भी इस विषयक वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कोई अनुश्रवण/निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा उपायुक्त, पलामू को किसी प्रकार की अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन ही प्रेषित किया गया। आपके द्वारा अगर उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सही ढंग से किया जाता तो छत्तरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अनाज के उठाव एवं वितरण में अनियमितता की संभावना नहीं रहती । इससे यह प्रतीत होता है कि आपने अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती है ।

2. आपने उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना की है ।

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर होने के नाते आपका यह दायित्व था कि पूरे प्रखण्ड अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहते एवं निरीक्षण टिप्पणी से उपायुक्त, पलामू को अवगत कराते रहते तो इस तरह से अनाज की कालाबाजारी की संभावना नहीं रहती। इससे यह प्रतीत होता है कि आपने अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं किया है । सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के बीच अतिरिक्त बी0पी0एल0 के चावल वितरण के लिए पंजी संधारित का निदेश दिया गया था । पंजी में प्रत्येक माह वितरित किये गये चावल की मात्रा अंकित करते हुए उपभोक्ता का हस्ताक्षर करना था । आपके द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण नहीं करने के फलस्वरूप दुकानदारों द्वारा उक्त निदेश अनुपालन नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2161, दिनांक 07 मार्च, 2013 द्वारा श्री चोपड़ा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री चोपड़ा के पत्र, दिनांक 21 मार्च, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-355/स्था0, दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है ।

श्री चोपड़ा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चोपड़ा के विरूद्ध अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों के बीच खाद्यान्न वितरण को कोई अनुश्रवण/निरीक्षण नहीं करने संबंधी आरोप प्रमाणित होते हैं ।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री चोपड़ा के विरूद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) के तहत् 'निन्दन' एवं नियम-49(2) के तहत् 'एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72—50 ।